न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 60/2019

अपीलांट

हंसराज पुत्र श्री पन्नेसिंह जी उम्र 73 वर्ष, जाति राजपुरोहित निवासी सांगरिया, तहसील लूणी, जिला जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार रोहट, तहसील रोहट जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री दौलत मकवाणा नौरतन चौहान, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 13.09.2019.

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 65/2012 बउनवान तहसीलदार रोहट बनाम हंसराज में पारित आदेश दिनांक 27.05.016 को अपास्त कराने का निवेदन किया। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपीलांट की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम भीतडा के खसरा नंबर 176/2 रकबा 5.07 बीघा किस्म नहरी पर भूखंड काटकर बेचान कर अकृषि कार्य करने के संबध मे प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने की दिनांक तक अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं हुआ। अपीलांट ग्राम संगरिया का मूलनिवासी है तथा ग्राम सांगरिया की तहसील लूणी है न कि जोधपुर। रेस्पोडेन्ट ने ग्राम सांगरिया की तहसील गलत रूप से जोधपुर दर्ज की जिससे अपलांट की लम्बे समय से सम्यक तामिल नहीं हो पाई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट का नोटिस विधिवत तामिल करवाये, बिना साक्ष्य,सबूत पेश करने एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना कैम्प कोर्ट में जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपीलांट की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम भीतडा के खसरा नंबर 176/2 रकबा 5.07 बीघा किस्म नहरी पर भूखंड काटकर बेचान कर अकृषि कार्य करने के संबध मे प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट को नोटिस जारी किया, किन्तु अपीलांट ने जानबूझकर नोटिस तामिल नहीं किया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण के संबध में होने वाली समस्त कार्यवाही का पूर्णतया ज्ञान होने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी पर बिना संपरिवर्तन कराये भूखंड काटकर बेचान कर गैर अकृषि कार्य किया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपीलांट की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम भीतडा के खसरा नंबर 176/2 रकबा 5.07 बीघा किस्म नहरी पर भूखंड काटकर बेचान कर अकृषि कार्य करने के संबध मे प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन अन्तर्गत धारा 177 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उक्त प्रार्थना पत्र में अपीलांट का पता निवासी संगरिया तहसील जोधपुर अंकित किया है, जबकि ग्राम संगरिया तहसील लूणी के अन्तर्गत आता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को नोटिस भेजा गया, वह ग्राम संगरिया तहसील जोधपुर के पते पर भेजे गये। जिससे यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 177 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपीलांट का गलत अंकित किया, जिस कारण अपीलांट का नोटिस गलत पते पर भेजा गया। जिससे अपीलांट का नोटिस विधिवत रूप से तामिल नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट का नोटिस गलत पते पर भेजे जाने से विधिवत तामिल नहीं हुआ, जिससे अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण के संबध में होने वाली कार्यवाही का कोई ज्ञान नहीं था। जिससे अपीलांट प्रकरण में अपने समर्थन में कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं कर सका। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त त्रुटि के संबध में ध्यान दिये बिना अपीलांट को गलत पते पर नोटिस भिजवाया गया। जिससे अपीलांट को प्रकरण में सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं हो सका।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

न्यायालय की गलती के कारण अपीलांट को न्याय से वंचित रखा जाना उचित नहीं समझते है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट की विधिवत तामिल करवाये बिना सुनवाई का अवसर दिये जैर अपील आदेश पारित किया है। जो हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। तथा सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 65/2012 बउनवान तहसीलदार रोहट बनाम हंसराज में पारित आदेश दिनांक 27.05.016 अपास्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देशो के साथ के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई का विधिवत अवसर दिया जाकर मौके की पुनः जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करे। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 13.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली